राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.1(112)एमई / ग्रुप–1 / 89 जयपुर, दिनांक :29/5/18

आदेश

डॉ. देविकारानी चौधरी, सेवानिवृत्त आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग को मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सह आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग के रिक्त पद पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12(6)एफडी / रूल्स / 2009 दिनांक 01.12.2015 एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 17(10)डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 10.02.2016 के प्रावधानों के तहत नियत पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा रिक्त पद भरे जाने या अन्य आदेश होने, जो भी पहले हो, तक के लिए संविदा पर एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

डॉ. चौधरी की संविदा आधारित नियत पारिश्रमिक पर यह नियुक्ति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.12.2015 एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.02.2016 के प्रावधानों के तहत शासित होगी।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिम निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 22450 दिनांक 22.05.2018 के क्रम में।
4. डॉ. देविका रानी चौधरी, सेवानिवृत्त आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग को मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर ।
5. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव